भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1466
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत नामांकन

1466. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत नामांकित नहीं किया गया है और वे इस योजना के अंतर्गत लाभों से वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में लगभग दो करोड़ पात्र एबी-पीएमजेएवाई व्यक्ति हैं और केवल 72.4 लाख अर्थात् 36 प्रतिशत व्यक्तियों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश में पुनः सर्वेक्षण कराकर छूटे हुए व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कौन-कौन से आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं; और
(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक लाभार्थी को किए गए औसत भुगतान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक पात्रता आधारित स्कीम है। इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के नामांकन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी कैशलेस उपचार लाभ प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक या निजी) में सीधे जा सकता है। आयुष्मान कार्ड के न होने पर पात्र लाभार्थियों को उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
दिनांक 02फरवरी 2023 तक, आंध्र प्रदेश में इस स्कीम के तहत 1.07 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान कार्ड के सत्यापन और सृजन के लिए घर-घर जाकर आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया गया है। एनएचए ने मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। राज्य ने सभी पात्र लाभार्थियों को कार्ड जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं की सेवाएं ली हैं।

दिनांक 23.06.2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए अपने स्वयं के डेटासेट का उपयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, स्कीम के समग्र डिजाइन और प्रयोजन को बरकरार रखते हुए केवल गरीब, वंचित और हाशिए वाले परिवारों को नामांकित किया जा सकता है।

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करती है। संबंधित राज्य सरकारें अस्पतालों को उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के संबंध में भुगतान करती हैं। लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जाता है। प्रति अस्पताल भर्ती लागत का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रति अस्पताल औसत भर्ती लागत	12,271 रु.	11,008 रु.	10,507 रु.	13,703 रु.

*****